न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 07 / 2023 / जैसलमेर

अपीलांट रेस्पोडेंटगण

राजस्थान सरकार जरिये 1. जिला कलक्टर, जैसलमेर 2. तहसीलदार फतेहगढ, जिला जैसलमेर	खेतसिंह पुत्र श्री गिरधरसिंह, जाति रावणा राजपूत, निवासी फतेहगढ तहसील फतेहगढ, जिला जैसलमेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 165 / 2017 बउनवान खेतसिंह बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.12.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री हरीराम चौधरी, राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से
2. वकील श्री वलपतसिंह सिसोदिया, उत्तरदाता की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 01.04.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अपीलाधीन निर्णय द्वारा रेस्पोडेंट के हक में ग्राम लोरडीसर के खसरा संख्या 225 रकबा 25.07 बीघा, में से रकबा 19.11 बीघा भूमि का रेस्पोडेंट को खातेदार घोषित कर इस आशय की घोषणात्मक आज्ञाप्ती जारी की गई है। जबकि यह भूमि सरकारी है। जो सेटलमैंट में भी सरकारी दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री जारी करने में कानूनी भूल की है। सेटलमेंट विभाग द्वारा मौके पर जरीब चलाकर कब्जा काश्त के आधार पर सर्वे करते हुए अभिलेख को अंतिम रूप दिया है। इससे पहले आपत्तियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया किन्तु सेटलमेंट विभाग के समक्ष रेस्पौडेंट द्वारा कोई आपत्ति पेश नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त बताई गई भूमि सरकारी भूमि है एवं भू–प्रबंध विभाग में उक्त भूमि सरकारी दर्ज है जिसमें रेस्पोडेंट का कोई कब्जा भी नहीं है। दावाकृत भूमि पर अपीलांट खातेदारी अधिकारी प्राप्त नही कर सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय डिक्री दिनांक 26.12.2022 को अपास्त किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि हस्तगत वाद में जिला कलक्टर को 80 सी पी सी का नोटिस दिया जाना अनिवार्य था, बावजूद वादी द्वारा धारा 80 सी पी सी का नोटिस नहीं दिया गया। प्रतिपादित प्रावधानों से स्पष्ट है उक्त वाद आरम्भ से ही विधि से वर्जित रहा व वाद को मेरिट पर देखने से पूर्व विधि के एकमात्र प्रश्न को देखा जाना एवं उस पर निर्णय वाद विचारण से पूर्व लिया जाना अधीनस्थ न्यायालय के लिये आज्ञापक था। वादी एडवर्सपजेसन के आधार पर दावा लाया है जो प्रतिपादित प्रावधानों से विधि से वर्जन की मात्रा, कानूनी प्रश्न को निर्णय किये जाने के कानूनी, विधिक प्रावधानों से अनिवार्य होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने बिना, कानूनी प्रश्न पर गौर किये व किसी साक्ष्य के विस्तृत व समुचित परीक्षण किये व निष्कर्ष अंकित किये अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। वादी ने समरी को आधार बनाकर दावा पेश किया गया जबकि समरी सेटलमेंट अन्दाजिया था। समरी के कौनसे खसरा संख्या से वर्तमान सेटलमेंट के समय खसरा संख्या 225 बना? इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश तुलनात्मक रजिस्टर भी संदेहस्पद है। सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को अंतिम रूप दिया गया। अभिलेख को अंतिम रूप देने से पूर्व आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नहीं की गई। इसलिए अब रेस्पोडेंट का इस भूमि पर कोई अधिकार नहीं है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया विधि के अनुरूप अपनाने के पश्चात भूमि को सरकारी घोषित किया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट/वादीगण अतिक्रमी है एवं अतिक्रमी को राजकीय भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। समरी खसरा संख्या से वर्तमान खसरा संख्या बने हो ऐसा भी प्रमाणित नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे, यदि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो गया है तो उसको निरस्त फरमाया जावे।

उत्तरदातागण के अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश कर अपील के जबाव में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी के पिता गिरधारी के नाम से ग्राम फतेहगढ में समरी खसरा संख्या 21 में तरमीम पर्चा के अनुसार 67.05 बीघा खातेदारी में दर्ज कर कब्जा काश्त रही। ग्राम फतेहगढ के समरी बंदोबस्त में समरी खसरा संख्या 128 व 129 में कुल रकबा 143 बीघा खातेदारी में दर्ज रहते हुए बंदोबस्त विभाग ने बिना किसी न्यायालय निर्णय के 19.11 बीघा भूमि कम दर्ज की। बंदोबस्त विभाग को प्रविष्टियों को नियमित बंदोबस्त में दोहराना आज्ञापक था। लेकिन बंदोबस्त विभाग ने उक्त आज्ञापक कानूनी प्रावधानों से परे जाकर मनमाने

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

तरीके से उक्त 19.11 बीघा भूमि कम दर्ज की जो कि भूमि वर्तमान में नवसृजित ग्राम लोरड़ीसर के खसरा संख्या 225 के रकबा 25.67 बीघा में समाहित है उक्त खातेदारी भूमि पर वादी के पिता गिरधारी के जीवनकाल में वादी के पिता का तथा वादी के पिता के निधन के बाद वादी का नियमित कब्जा काश्त होने से वादी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का हकदार है। तुलनात्मक रजिस्टर प्रदर्श 14 के अनुसार वादी के पिता गिरधारी के खसरा संख्या 21 में दर्ज रकबा 67.05 बीघा भूमि के नए खसरा संख्या 238 व 239 में क्रमशः 0.05 बीघा व 47.09 बीघा कुल रकबा 47.14 बीघा दर्ज की है तथा 19.11 बीघा कम दर्ज कर जरिये तरमीम पर्चा से दुरस्ती की गई का अंकन किया गया है। वाद में कायम तनकीयात को वादी स्वयं तथा उसकी ओर से प्रस्तुत गवाहान से भी अपीलांट द्वारा उक्त कम रकबा दर्ज करने बाबत् कोई प्रश्न जिरह में नहीं पूछा गया है जिसमें भी वादी की साक्ष्य अखंडित रही है तथा वादी का वाद प्रमाणित रहा है। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में जो नए तथ्य प्रस्तुत किये हैं उनको अधीनस्थ न्यायालय में कही प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा उक्त अपील में अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद, जबावदावे, प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य के संबंध में कोई कथन इस अपील में प्रस्तुत नहीं किया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में रेस्पोडेंट को मात्र 02 वर्ष का अतिक्रमी होना बताया है जबकि सेटलमेंट के पूर्व से वादी के पिता तथा बाद में आज दिन तक वादी का कब्जा काश्त शांतिपूर्वक चला आ रहा है, जो कि वादी की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पूर्ण पालन किया गया। अतः अपीलांटस की अपील मय खर्चा खारिज फरमाई जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 म्यांद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि निर्णय की जानकारी देरी से हुई। तहसीलदार फतेहगढ राज्य सरकार के निर्देशानुसार राहत शिविर व प्रशासन गांवों के संग के कार्यों में अतिव्यस्त रहा जिसके कारण निर्णय का ज्ञान मुझे निर्णय की प्रति लेने से पूर्व नहीं रहा, ज्ञान के बाद तुरन्त अधीनस्थ न्यायालय से निर्णय की प्रति प्राप्त कर परीक्षण करने व जिला कलक्टर महोदय से अनुमति लेने हेतु समय लगा एवं बाद अनुमति राजकीय अभिभाषक से सम्पर्क कायम कर उनकी विधिक सलाहनुसार तुरन्त अपील पेश करना आवश्यक होने से पेश की जा रही है। अपीलांटस ने जानबूझकर लापरवाही नहीं बरती है। बल्कि ज्ञान के अभाव में उक्त विधिक की दृष्टि में शून्य निर्णय व डिक्री की अपील नहीं की जा सकी। जानकारी

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

होते ही तुरन्त तत्परता से उक्त अपील ज्ञान के अन्दर म्याद पेश की जा रही है। अतः अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

उत्तररदाता के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील को मियाद बाहर पेश किया गया। विलंब से अपील पेश करने का कोई सदभाविक कारण नहीं बताया गया। अपील पेश करने में हुए विलंब के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं बताया गया। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित होने की दिनांक से ही जानकारी थी। अपीलांट द्वारा जानबूझकर अपील विलंब से पेश की गई। अतः अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने से इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की धारा 05 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनी गई। बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि अपीलांट राज्य सरकार का प्रतिनिधि होने से राज्य सरकार के निर्देशानुसार राहत शिविर व प्रशासन गांवों के संग कार्यों में व्यस्त रहा। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में जानबूझकर देरी नहीं की गई। अपीलांट के कथनों पर विश्वास एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन के पश्चात अपील का निस्तारण तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर करने की बजाय गुणावगुण पर किया जाना न्यायोचित है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय ने पाया है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पेश दस्तावेजात को विधि में वर्णित प्रक्रिया को अपनाये बिना ही प्रदर्श अंकित किये गये। दस्तावेजात को कौनसी दिनांक को प्रदर्श किया गया आदेशिका में इस बाबत कोई अंकन नहीं किया गया। दस्तावेज प्रदर्श करने वाले पीठासीन अधिकारी के दस्तावेजात पर हस्ताक्षर नहीं हैं। खेत समरी खसरा संख्या 21 जिसके वर्तमान खसरा संख्या 225 ग्राम लोरड़ीसर हो ऐसा कोई तुलनात्मक पंजिका के दस्तावेजात पेश नहीं किये गये। तुलनात्मक रजिस्टर की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पेश की गई लेकिन उसके तीन भाग है तीनों ही भागों की प्रमाणित प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर नहीं है। इसलिए उक्त दस्तावेजात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। समरी के उक्त खसरा संख्या 21 से अन्य कोई खसरा वर्तमान बंदोबस्त में कायम हुआ हो ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर दस्तावेज रूप में नहीं है, इसलिए इससे पृथक किसी अन्य खसरा संख्या की भूमि पर रेस्पोडेंट/वादी दावा लाने के अधिकारी ही नहीं है। इस दावाकृत खसरे का रकबा भी दावाकृत

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रकबे से सर्वथा भिन्न होकर अधिक है। दावा मनगढंत है। इन खसरों का कोई साम्य नहीं है। तत्पश्चात दावाकृत भूमि पर किसी वादीगण/रेस्पोडेंट का कोई कब्जा काश्त बाबत अभिलेखीय सबूत रिकॉर्ड पर नहीं है। बिना कब्जा काश्त के खातेदारी अधिकार प्रदान करने का कोई आधार नहीं है। प्रतिवादी पक्ष के रूप में केवल हनुमानराम पटवारी के कम्प्यूटर टाईप किये हुए बयान तथा जिरह अंकित हैं जिस पर तारीख का कोई अंकन नहीं है। गवाहों द्वारा वाद पत्र के संबंध में किये गए कथनों के समर्थन में किसी भी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित नहीं हुए हैं। इसलिए पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजी अभिलेख विधि में वर्णित प्रक्रिया का अपनाये बिना केवल मात्र प्रदर्श अंकित किया गया जो साक्ष्य में ग्राह्य ही नहीं है। प्रतिवादी/अपीलांट सरकार के गवाह पटवारी हनुमानराम के बयानों पर भी गौर नहीं हुआ है। इसमें इस दावे के बाबत कोई सारभूत कथन नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात भी वादी अधिवक्ता द्वारा पेश आवेदन के अनुसार बनाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने के लिए एक सुनियोजित तरीके से राजकीय भूमि की बंदरबांट करने के लिए हस्तगत वाद तैयार किया गया प्रतीत होता है। बिना पुष्ट प्रमाणों के रेस्पोडेंट/वादीगण का दावाकृत भूमि पर दावे का कोई आधार नहीं है न ही उसका दावाकृत भूमि पर अनवरत कब्जा काश्त ही सिद्ध है लिहाजा अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 165/2017 बउनवान खेतसिंह बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.12.2022 को अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

1/4/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 01.04.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

1/4/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर